



एल०एल०बी०–त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम  
निर्देशिका  
एवं  
प्रवेश आवेदन–पत्र  
सत्र 2018–2019



श्री जय नारायण महाविद्यालय (के०के०सी०) लखनऊ  
(नैक द्वारा ग्रेड “ए” प्रत्यायित)

## आवश्यक सूचनायें

प्रवेश स्नातक कक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट से होंगे।

1. एल0एल0बी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर निम्नलिखित आयु सीमा एवं अंक- प्रतिशत प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन करे :

(क) आयु सीमा : बार कौन्सिल के नियमानुसार

(ख) अंक- प्रतिशत

- सामान्य वर्ग 45 प्रतिशत
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) बार काउन्सिल के नियमानुसार
- अन्यसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 40 प्रतिशत

### **संलग्नक :**

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित मूल प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है। इनके अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा :

- हाईस्कूल की अंकतालिका एवं हाईस्कूल का प्रमाण पत्र,
- इन्टरमीडिएट, स्नातक एवं परास्नातक की अंकतालिका,
- आरक्षण (Reservation) सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
- भारण (Weightage) सम्बन्धी प्रमाण पत्र (उत्कृष्ट खिलाड़ी/ एन.सी.सी. प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों के लिए )
- चरित्र प्रमाण पत्र,
- आवेदन पत्र/फीस की बैंक द्वारा जारी मूल रसीद,
- नियोजित होने की दशा में नियोजक का मूल (Original) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रथम सेमेस्टर से षष्ठम सेमेस्टर तक प्रत्येक बार प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य है।
- अन्य विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों को विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म के साथ ही प्रवजन (Migration Certificate) प्रमाण पत्र भी जमा करना अति आवश्यक है अन्यथा वार्षिक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा।

# Rules for Admission

- The age limit for admission to LL.B. first semester shall be as per Lucknow University Rules & Bar Council of India.
- A candidate will be eligible for admission to LL.B. first semester, if he has obtained Bachelor's Degree from any University recognized by UGC with 10+2+3 system and has secured not less than 45% marks (for OBC as per Lucknow University rules and 40% marks for SC/ST candidates).
- If the marks obtained at the Graduation examination by two or more candidates are the same, in that case the percentage of marks secured by the candidate at the Intermediate examination will be the determining factor of merit for admission and if the percentage at the Intermediate level is also the same, the percentage of marks obtained at the High School Examination will be the determining factor of merit for admission.
- If the marks obtained at the High School or equivalent examination by two or more are the same, in that case the candidate senior in age will get preference in the merit list.
- Period in between the year of passing qualifying examination and the year of application for admission to LL.B. first semester shall be treated as gap and 02% marks shall be deducted for each gap year from the percentage of qualifying degree subject to maximum gap of three years.
- For a candidate passing Post-Graduate Examination in continuation of the qualifying examination, the time of Post Graduate Examination of two years will not be treated as gap.
- Admission Fee for the Course: - As per Lucknow University Norms
- **Prohibition to register for two regular course of study:** No students shall be allowed to register for a law degree programme with any other graduate or post graduate degree/diploma or even a certificate course run by Lucknow University or any other University or an Institute for academic or professional learning.
- **Attendance:** No student of LL.B. programme shall be allowed to take the end semester examination if the student concerned has not attended minimum of 75% of the classes held as also the moot court room exercise, tutorials and practicals conducted in the subject taken together. Provided that if a student for any exceptional reasons failed to attend 75% of the classes held in any subject, the Principal of the college, may allow the student to take the test if the student concerned attended at least 66% of the classes held. Vide the Bar Council of India Rule (Part-V), Section B (3) the students are required to put in the minimum attendance 66% of the lectures in each of the subjects.
- **Overriding Effect:** The relevant UGC/BCI/Lucknow University Rules (as amended from time to time) shall be binding on the College. All disputes regarding interpretation of provisions of this Ordinance shall be referred to Admission Committee of the College, whose decision shall be final.

## सूचनायें

महाविद्यालय विधि संकाय में सहशिक्षा है। त्रिवर्षीय विधि के पाठ्यक्रम में 320 स्थान उपलब्ध हैं। अतः प्रवेश के इच्छुक पुरुष/ महिला अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकेंगे। महाविद्यालय में पठन-पाठन का कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे के बीच चलेगा। अतः सेवायोजित अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले दिन के समय कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए नियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (छायाप्रति) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे अन्यथा आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

एल.एल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होगा जिसने लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी महाविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा 10+2+3 उत्तीर्ण की हो। किसी अन्य प्रान्त का विद्यार्थी होने की दशा में उस जनपद के जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा दिया गया चरित्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। 2017-18 में स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी भी प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे लेकिन उनको स्नातक उत्तीर्ण करने की अंकतालिका की छाया प्रति प्रवेश मेरिट की घोषणा से पहले विधि कार्यालय में जमा करनी होगी अन्यथा उनका आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

महाविद्यालय को यह अधिकार सुरक्षित है कि

- क) बिना कारण बताये किसी भी आवेदक को प्रवेश न दें कि :
- ख) किसी भी स्थिति में प्रवेश नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकें।
- ग) प्राचार्य का निर्णय प्रवेश के विषय में अंतिम निर्णय होगा।

### **आवश्यक निर्देश**

1. महाविद्यालय परिसर में आपके पास महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र अवश्य होना चाहिए। परिचय पत्र हस्तान्तरणीय नहीं है। महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रदान की जा सकेंगी।
2. परिसर में या अध्ययन कक्षा में पान, पान मसाला/तम्बाकू खाना/ धूम्रपान वर्जित है। परिसर या कक्ष को गन्दा करना दण्डनीय है और आर्थिक दण्ड भी देय होगा।
3. परिसर में वैध/अवैध शस्त्र लाना वर्जित है।
4. महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना या नष्ट करना एक गम्भीर अपराध है। किसी भी प्रकार की क्षति के लिये सम्बन्धित छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। परिसर के अन्दर साइकिल या अन्या वाहन लाना वर्जित है। अपने वाहन को महाविद्यालय के साइकिल स्टैण्ड के अन्दर ही खड़ा करें।
5. दूसरे राज्य के विद्यार्थियों को जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित अधिवास प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

## **चेतावनी**

**रैगिंग एक अपराध है। इसमें लिप्त विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी**

## महत्वपूर्ण सूचनायें

1. महाविद्यालय में विधि के सभी छात्रों/छात्राओं को अनिवार्य रूप से निर्धारित यूनीफार्म (सफेद कमीज एवं काली, पैंट, सर्दियों में नेवी ब्ल्यू ब्लेजर/स्वेटर) छात्राओं के लिए सफेद कमीज एवं सफेद शलवार में महाविद्यालय आना होगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों की कैटैगरीवार सूची महाविद्यालय के website [www.jnpg.org.in](http://www.jnpg.org.in) नोटिस बोर्ड पर देखने के लिए उपलब्ध रहेगी।
3. जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि वह वरीयता सूची में आ गया है तथा सही शुल्क जमा कर रहा है।
4. उत्तर प्रदेश शासन/निदेशालय द्वारा सत्र के मध्य में यदि शुल्क में संशोधन किया जाता है तो छात्र को संशोधित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
5. अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
6. अनुत्तीर्ण छात्र एवं अनुचित साधन (U.F.M.) प्रयोग करते पकड़े गये छात्र का पुनः प्रवेश नियमित छात्र के रूप में नहीं होगा।

## महत्वपूर्ण तिथियाँ

1. आवेदन पत्र की उपलब्धता –10 मार्च 2018 से 30 जून, 2018
2. चयनित अभ्यर्थी की सूची –03 जुलाई, 2018
3. प्रवेश अवधि –04 जुलाई, 2018 से 09 जुलाई, 2018

**नोट:** प्रवेश की प्रथम सूची विभिन्न पाठ्यक्रम के लिए दी गयी प्रवेश अवधि के एक दिन पूर्व घोषित की जायेगी। अन्य सूचियों के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड देखें।

श्री जयनारायण विधि महाविद्यालय, लखनऊ

Telefax: 0522-2635563

website [www.jnpg.org.in](http://www.jnpg.org.in)

नोट—चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश सम्बंधी फीस जमा करने के बाद निर्धारित दिनांक पर महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी अन्यथा उसका चयन महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा की गई फीस किसी भी दशा में वापस नहीं होगी। फीस जमा करने मात्र से आपका प्रवेश सुनिश्चित नहीं माना जायेगा।